

रत्नगोष देवी बनाम भूमिधारी को

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दावा मु.नं. 99/2021


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

तारीख हुकम

29.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग
अभियान- 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम
पंचायत- झाड़ली में पेश हुई। वादीया उपस्थित।
वादीया की पहचान वादिया वकील श्री कानाराम पूनियां
एड0 के द्वारा की गई। वकील वादीया ने उपस्थित
होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को आगे नहीं
चलाकर इसी स्तर पर विद्रा कर खारिज किये जाने का
निवेदन किया। वकील वादीया के निवेदन पर प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र विद्रा स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को विद्रा
कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जा रही है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2021
को ग्राम पंचायत- झाड़ली में आयोजित प्रशासन गांवों के
संग अभियान-2021 के मजमे-ए-आम में सुनाया गया।

वाद

(द्वितीय सिद्ध)
सहायक क्लर्क (फास्टट्रेक)
श्रीमाघापुर (सीकर)
कैम्प- झाड़ली